वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016-आश्विन 29, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

प्रारूप-पन्द्रह

[नियम 18 (3)]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23/1973) की धारा-50 (4) व 50 (7) के अंतर्गत यातायात नगर से लगी आवासीय क्षेत्र के लिये यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम हेतु ग्वालियर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर उक्त योजना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 25 मार्च, 1994 को किया गया था. उक्त प्रकाशन में ग्राम शंकरपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 540 का प्रकाशन किया गया है. उक्त योजना में धारा 50(2) एवं 50(3) अंतर्गत प्रकाशनों में सर्वे क्रमांक 540 मिन का प्रकाशन हुआ था. किन्तु टंकण त्रुटि के कारण धारा 50(7) के प्रकाशन दिनांक 25 मार्च, 1994 में मिन शब्द का उल्लेख होना छूट गया है जबकि योजना में सर्वे क्रमांक 540 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल शामिल नहीं है, बल्कि 540 मिन का क्षेत्रफल 6 बीघा 18 विस्वा योजना में शामिल है.

अत: प्रकाशन दिनांक 25 मार्च, 1994 में प्रकाशित सर्वे क्रमांक 540 के स्थान पर 540 मिन पढ़ा जाये.

सुरेश कुमार,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(431-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वैशाली राखे पत्नि श्री विनोद राखे का पूर्व नाम (शादी पूर्व) मंगला खड़ीकर था. अब विवाहोत्तर मुझे श्रीमती वैशाली राखे, निवासी एफ-311, राजहर्ष कॉलोनी, अकबरपुर, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल नाम से जाना व पहचाना जाता है.

पुराना नाम :
(मंगला खड़ीकर)
जनार्दन मंदिर, सराफा,
उज्जैन.

नया नाम :
(वैशाली राखे)
एफ-311, राजहर्ष कॉलोनी, अकबरपुर,
नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल.

(428-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजा भसीन पिता रवि भसीन, निवासी भसीन शेल्टर, 118, आनंद नगर, खण्डवा यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम ब्रह्मबीर सिंह भसीन **(Bhrambir Singh Bhasin)** था. अब मैंने अपना नाम बदलकर राजा भसीन **(Raja Bhasin)** कर लिया है. अत: मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे. सो सूचना जाने.

पुराना नाम :
(ब्रह्मबीर सिंह भसीन)

नया नाम :
(राजा भसीन)
पिता रवि भसीन.

(429-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, हिमांशु मालवीया (HIMANSHU MALVIYA) पिता बाबूलाल मालवीया, निवासी-7, नीलकंठेश्वर वार्ड, जे. जे. हॉस्पिटल के ऊपर, खण्डवा यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम हुकुमचंद बाबूलाल मालविय (HUKUMCHAND BABULAL MALVIY) था. अब मैंने मेरा नाम बदलकर हिमांशु मालवीया कर लिया है अत: मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(हुकुमचंद बाबूलाल मालविय)

नया नाम :
(हिमांशु मालवीया)
पिता बाबूलाल मालवीया.

(433-बी.)

जाहिर सूचना

मैं, अपने पक्षकार श्रीमती सरला वर्मा पत्नि श्री रामबदन वर्मा पुत्री श्री राजाराम कचेर, निवासी 136 ओम शिवनगर लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) के निवेदन पर सर्व-साधारण को सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पक्षकार का विवाह के पूर्व का नाम शांती वर्मा पुत्री श्री राजाराम कचेर था, विवाह के पश्चात् सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार इनका नया नाम श्रीमती सरला वर्मा पत्नि श्री रामबदन वर्मा हो गया है. इनके वर्तमान के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं परिचय-पत्र एवं बैंक एकाउन्ट इत्यादि में सरला वर्मा दर्ज है. अत: इस प्रकाशन के माध्यम से मेरे पक्षकारा अपने पुराने नाम शांति वर्मा को विलोपित करते हुए नये नाम श्रीमती सरला वर्मा पत्नि श्री रामबदन वर्मा से जाना व पहचाना जावे.

अनिल कुमार पाण्डेय,
(अधिवक्ता) पाण्डेय लॉ चेम्बर,
निवास एवं कार्या.-म.न. 40, गीतबंगलो, फेस-5,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल, (म.प्र.).

(432-बी.)

NOTICE

(U/s. 72 Of The Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that the firm "M/s. Shri Siddhi Vinayak ASKP Group" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00511/14, Dated 01-03-2014 undergone the following changes:—

1. That Ms. Raisen Marketing Pvt. Ltd. has joined the partnership firm *w.e.f.* 01-06-2016.
2. Mr. Pramod Priyadarshi S/o Shri Surya Kumar Singh has joined the partnership firm and Mr. Pramod Shrivastava S/o Late Shri H. D. Shrivastava, Mr. Kamlesh Thawani S/o Late Shri L. K. Thawani, Mr. Shivkumar Sehgal S/o Late Shri Hariram Sehgal & Mr. Anubhav Gupta S/o Shri R. P. Gupta has retired the partnership firm *w.e.f.* 01-09-2016.

"M/s. Shri Siddhi Vinayak ASKP Group"
Gangadeen Patel,
(Partner).
I. T. Plaza, E/8, Trilanga, Bhopal.

(426-B.)

NOTICE

(U/s. 72 Of The Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that the firm "M/s. Amar Construction Co." of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00002/2004,

Dated 01-04-2004 undergone the following changes:—

1. That Mrs. Kuldep Kaur W/o Shri Daljeet Singh Gill and Shri Rajdeep Singh S/o Shri Daljeet Singh Gill has joined the firm *w.e.f.* 01-04-2004 and Shri Jogindar Singh Gill S/o Late Shri Teja Singh Gill were retired from the partnership firm *w.e.f.* 01-04-2004.
2. That Shri Gurpal Singh and Mrs. Narender Kaur were retired from the partnership firm *w.e.f.* 01-04-2006.

"M/s. AMAR CONSTRUCTION CO."
Daljeet Singh Gill,
(Partner).
13-A, Indrapuri, Bhopal.

(427-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण का फर्म पाकीजा अफकार पब्लीकेश जो कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी के कार्यालय में क्रमांक 01/01/01/00226/09 पर दर्ज है. उक्त फर्म में भागीदार 1. श्री प्यारे मियां, उम्र 64 साल, आत्मज श्री अब्दुल समद, निवासी-29, लालाराम नगर, इंदौर, म. प्र., 2. श्री तनवीर, फातिमा उम्र 47 साल, पुत्री श्री तजम्मुल हुसैन, निवासी-जी/1 कहकशां अपार्टमेंट, भोपाल, म.प्र., निवासी एवं 3. श्री एफ. एफ. खान, उम्र 47 साल, आत्मज श्री एम. आई. खान, निवासी-4, जिंसी जहांगीराबाद, भोपाल द्वारा फर्म की भागीदारी से सेवानिवृत्ती लेकर नये सदस्यों 1. श्री गौरव सलूजा, उम्र 32 साल, आत्मज श्री ओम प्रकाश सलूजा, निवासी-511, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर, म. प्र., 2. श्री ओम प्रकाश सलूजा, उम्र 51 साल, निवासी-511, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर, म. प्र. को नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है. इस संबंध में नई पार्टनरशिप डीड दिनांक 01-09-2016 निष्पादित कर, नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

मो. फुरकान खान,
(एडवोकेट)
निवास-फ्लेट नं. 205, अफरोज अपार्टमेंट,
गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के पास, गिन्नौरी, भोपाल.

(430-बी.)

आम सूचना

भारतीय साझेदारी विधान 1932 की धारा-63 (1) के अन्तर्गत सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार भागीदारी फर्म काम्प्रेशर एण्ड ऑटो टेक्टर पार्ट्स जिसका पंजीयन क्र. 1809, दि. 16/12/1976 है एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता 34, सियागंज मेहता चेंबर इंदौर है. दिनांक 30 अप्रैल 1976 से उक्त भागीदारी फर्म में (1) श्री किरीट के. शाह, (2) धीरू भाई के. शाह, (3) श्रीमती आशा एन. शाह. भागीदार रहे जिनमें से दिनांक 31 जुलाई 1991 को दो भागीदार (1) श्री किरीट के. शाह, (2) श्रीमती आशा एन. शाह रिटायर हो गये हैं तथा उक्त दिनांक को श्री नयन भाई के. शाह उक्त फर्म में नये भागीदार नियुक्त किये गये हैं तथा भागीदारों का आपस में खाता सेटल हो गया है. वर्तमान में उक्त भागीदारी फर्म में दो पार्टनर मौजूद हैं (1) श्री धीरू भाई शाह, (2) नयन भाई शाह हैं. इसमें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो वह लिखित में स्पीड पोस्ट के माध्यम से, स्वयं अथवा वकील के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस में 7 दिनों में सूचित करें.

गोपाल शर्मा (भारद्वाज),
(एडवोकेट)
29/5, न्यू रानीपुरा, परदेशीपुरा, इन्दौर.

(434-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जे. वी. आर. मिनरल्स स्थित ग्राम व पोस्ट घटहरी, तह. गौरिहार, जिला छतरपुर (म. प्र.) है, जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/02/00081/11 एवं दिनांक 13-09-2011 है, जिसमें से दिनांक 07-04-2016 को भागीदार जगदीश पाठक पुत्र श्री तुलसीदास पाठक, निवासी आवादी विस्तार कॉलोनी, जैन मंदिर रोड, खजुराहो, जिला छतरपुर (म. प्र.) एवं रमेश चन्द्र पुत्र श्री गंगा प्रसाद, निवासी बंगला व पोस्ट अस्थाना, जिला कानपुर (उ. प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-04-2016 को ललित कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी भीमगढ़ खेड़ी, गुड़गाँव एवं आनन्द यादव पुत्र श्री लेखराम यादव, निवासी पार्क ब्यू सिटी नं. 02, सेक्टर नं. 49, सोहना रोड, गुड़गांव अपनी स्वेच्छा से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आम जन एवं सर्व-साधारण सूचित हों.

फर्म-जे. वी. आर. मिनरल्स,
वाशुदेव शर्मा,
(भागीदार)
ग्राम व पोस्ट घटहरी, तह. गौरिहार,
जिला छतरपुर (म. प्र.).

(435-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला बाई सरिया पति श्री रणछोड़ सिंह भागीदारी फर्म मैसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज सर्वे क्र. 161/1/1, 161/2, 161/1/1/2, डाक बंगला रोड, तराना, जिला उज्जैन (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/07/0020/16, दिनांक 06-06-2016 में से दिनांक 26-04-2016 को भागीदारी से पृथक् हो गई हैं एवं इस भागीदारी फर्म में दिनांक 26-04-2016 में एक नये भागीदारी नरेन्द्र सरिया पिता स्व. श्री रणछोड़ सिंह सरिया, पता-ग्राम कचनारिया, तहसील तराना, उज्जैन (म. प्र.) शामिल हो गए है. इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 26-04-2016 से भागीदारी फर्म मैसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज सर्वे क्र. 161/1/1, 161/2, 161/1/1/2, डाक बंगला रोड, तराना, जिला उज्जैन (म. प्र.) में निम्नलिखित भागीदार हैं-1. बने सिंह सोलंकी पिता श्री भंवर सिंह सोलंकी, 2. श्रीमती जानकी बाई पाटीदार पति श्री गौरीशंकर पाटीदार, 3. सुभाषचन्द्र पाटीदार पिता श्री कन्हैयालाल पाटीदार, 4. नरेन्द्र सरिया पिता स्व. श्री रणछोड़ सिंह सरिया, 5. श्रीमती सागर बाई पाटीदार पति श्री विष्णुप्रसाद पाटीदार, 6. श्रीमती लीलाबाई पाटीदार पति श्री मदनलाल पाटीदार, 7. माखनलाल पाटीदार पिता श्री मांगीलाल पालोतरा, 8. पुरुषोत्तम गामी पिता श्री कन्हैयालाल गामी.

वास्ते-मैसर्स वीर बालाजी कोल्ड स्टोरेज,
सुभाषचंद्र पाटीदार,
(भागीदार)
डाक बंगला रोड, तराना, जिला उज्जैन (म. प्र.).

(436-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शीतलदास चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी, भागीदारी फर्म मैसर्स पूनम पैलेस, नई पेठ, उज्जैन (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0048/10, दिनांक 22-09-2010 में से दिनांक 01-04-2016 को भागीदारी से पृथक् हो गए हैं. इस परिवर्तन के पश्चात् दिनांक 01-04-2016 से भागीदारी फर्म मैसर्स पूनम पैलेस, नई पेठ, उज्जैन (म. प्र.) में निम्नलिखित भागीदार हैं-1. भगवानदास चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी, 2. किशोर कुमार चांदनानी पिता श्री चोईथराम चांदनानी.

वास्ते-मैसर्स पूनम पैलेस,
भगवानदास चांदनानी,
(भागीदार)
नई पेठ, उज्जैन (म. प्र.).

(437-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स पार्श्वनाथ डेकोर, 50/3, बजाज कॉम्पलेक्स, मुसद्दीपुरा, उज्जैन (म. प्र.), ब्रांच का पता : 800, मनवानी कॉम्पलेक्स, न्यू लोहा मंडी, देवश्री मेनरोड़, इंदौर (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0065/15, दिनांक 23-11-2015 है, भागीदारी पत्रक दिनांक 03-10-2015 में निम्नलिखित भागीदार थे- 1. विनोद जैन पिता श्री जवाहरलाल जैन, 2. गौरव जैन पिता श्री अशोक कुमार जैन, 3. राजेश जैन पिता श्री जवाहरलाल जैन, उपरोक्त वर्णित भागीदारों में से एक भागीदार गौरव जैन पिता श्री अशोक कुमार जैन इस भागीदारी फर्म से दिनांक 09-06-2016 को निवृत्त हो जाने के कारण मैसर्स पार्श्वनाथ डेकोर, उज्जैन (म. प्र.) में निम्नलिखित भागीदार रह गए हैं एवं इनके द्वारा ही भागीदारी फर्म का संचालन एवं व्यवसाय किया जावेगा-1. विनोद जैन पिता श्री जवाहरलाल जैन, 2. राजेश जैन पिता श्री जवाहरलाल जैन.

वास्ते-मैसर्स पार्श्वनाथ डेकोर,
विनोद जैन,
(भागीदार)
50/3, बजाज कॉम्पलेक्स, मुसद्दीपुरा, उज्जैन (म. प्र.).

(438-बी.)

NOTICE

(U/s. 72 Of Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that in the firm of M/s. Raamesh Construction, 86, Gopal Nagar, Ratlam (M. P.) registered partnership firm vide Registration No. 07/37/01/0044/16/2016-17, Dated 10-08-2016 with the Registrar of Firms. The firm was constituted vide partnership deed executed on 01-04-2003 in between partners 1. Shri Rupesh Pirodia S/o Shri Chandanmal Pirodia, 2. Shri Chandanmal Pirodia S/o Shri Kanhaiyalal Pirodia, 3. Nilesh Pirodia S/o Shri Chandanmal Pirodia all resident at Ratlam.

In the firm subsequently following changes have occurred on 20-05-2009 vide partnership agreement dated 20-05-2009 and the following partners have joined the firm :-

1. Shri Surendra Mehta S/o Shri Rajmal Mehta,

2. Smt. Madhu Pirodia W/o Shri Chandanmal Pirodia,
3. Smt. Varsha Pirodia W/o Shri Rupesh Pirodia,
4. Smt. Rinky Pirodia W/o Shri Nilesh Pirodia,

For-M/s. Raamesh Construction,
Rupesh Pirodia,
(Partner).

(439-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर

रा. प्र. क्र. 2-बी-113/2015-16.

फार्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अंतर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष.

आवेदक कानाजी पिता नारायण जी सोलंकी एवं अन्य निवासी कासेल, तहसील राजपुर, अध्यक्ष, श्री योगमाया दुर्गा मंदिर मांगलिक भवन ट्रस्ट, कासेल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत योगमाया दुर्गा मंदिर मांगलिक भवन ट्रस्ट के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. कलेश,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(750)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग पुनासा, जिला खंडवा

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2016-17.

दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

प्रारूप-चार

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)के अन्तर्गत]

श्री गुजराती सेन समाज धर्मशाला एवं राम मंदिर मोरटक्का माफी, तह. पुनासा, जिला खंडवा की ओर से श्री श्यामलाल सेन वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, निवासी धनगांव द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो कसता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री गुजराती सेन समाज धर्मशाला एवं राम मंदिर मोरटक्का माफी, तह. पुनासा, जिला खंडवा.
पता	:	श्री गुजराती सेन समाज धर्मशाला एवं राम मंदिर मोरटक्का माफी, तह. पुनासा, जिला खंडवा

अनुसूची "अ"

चल सम्पत्ति : 1. 5,000 रुपये नगद

अनुसूची "ब"

अचल सम्पत्ति : 1. ग्राम मोरटक्का माफी की आबादी भूमि खेडीघाट क्षेत्र लम्बाई 100 फीट-पूर्व-पश्चिम, चौड़ाई 55 फीट उत्तर-दक्षिण, चतुर्सीमा पूर्व में शेरूमाताजी का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में खाली प्लाट, दक्षिण में आम रास्ता.

(755)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2016-17.

दिनांक 7 अक्टूबर, 2016

प्रारूप-चार

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)के अन्तर्गत]

श्री गुरूधाम आश्रम, वार्ड-7, झूलापुल के पास, ओंकारेश्वर, तह. पुनासा, जिला खंडवा की ओर से श्री सोमेस्वरानंद वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, निवासी ओंकारेश्वर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : श्री गुरूधाम आश्रम, वार्ड-7, झूलापुल के पास, ओंकारेश्वर, तह. पुनासा, जिला खंडवा.

पता : श्री गुरूधाम आश्रम, वार्ड-7, झूलापुल के पास, ओंकारेश्वर, तह. पुनासा, जिला खंडवा.

अनुसूची "अ"

चल सम्पत्ति : निरंक

अनुसूची "ब"

अचल सम्पत्ति : निरंक

जानकी यादव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(755-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./10/1287, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, कटरा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./360, दिनांक 3-1-1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक/998, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में 01-09-2016 को प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना, आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, कटरा, तहसील पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति वनवासी,
सहायक पंजीयक.

(751)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

बुन्देलखण्ड उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बण्डा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 644, दिनांक 18-09-1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016, 1823, सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04-02-2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बण्डा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 644, दिनांक 18-09-1996 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत रामजी खरे, स. नि./स.वि.अ. बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(752)

सागर, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रेहली, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 150, दिनांक 06-08-2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016, 1825, सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04-02-2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (1) के अन्तर्गत गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रेहली, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 150, दिनांक 06-08-2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत आर. के. केसरी, स. नि./स.वि.अ., रेहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(752-A)

सागर, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

सी. जे. पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 99, दिनांक 30-08-1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1824, सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04-02-2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सी. जे. पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 99, दिनांक 30-08-1989 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एच. के. मिश्रा, स. नि./स.वि.अ., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(752-B)

सागर, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

इन्द्रागांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कंदवा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 690, दिनांक 08-07-1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1822, सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04-02-2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इन्द्रागांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कंदवा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश, पंजीयन क्र. 690, दिनांक 08-07-1997 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत रामजी खरे, स. नि./स.वि.अ., बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(752-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016–आश्विन 29, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित–2016